



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 21449 वर्ष 2026

अनुज सिंह याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवर्षि कुमार राय, हिमांशु पाल

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 109(1), 3(5), थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक तथा सह-अभियुक्त मंजीत चौहान को सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त मंजीत चौहान ने घायल सूर्य प्रताप सिंह को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाई। घायल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जांच के दौरान, कई साक्षियों ने बताया कि आग्नेयास्त्र से चोटें सह-अभियुक्त मंजीत चौहान द्वारा पहुंचाई गई थीं। जांच अधिकारी द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त की गई, जिसमें आवेदक घटना स्थल पर दिखाई नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया है कि केवल सह-अभियुक्त मंजीत चौहान ने मृतक को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाई। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त मंजीत चौहान के मामले से भिन्न है, जो कथित अपराध में संलिप्त पाया गया था और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 31.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई निरुद्धि की अवधि तथा किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत याचिका अनुमन्य की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-अनुज सिंह को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।